BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 06 मार्च, 2025 **थाना – कोतवाली नगर**

विदेशी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त लूट/चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार, कब्जे से 58,000/- रुपये नकद, अवैध असलहा कारतूस आदि बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 05/06.03.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर विदेशी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को 58,000/- रुपये नकद, अवैध असलहा कारतूस आदि सहित मऊखेडा से बीसा कालोनी जाने वाले रास्ते पर आम के बाग से लूट/चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 209/25 धारा 312/313 बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रफीक पुत्र रिजोब निवासी किराये का मकान मौ0 सराय झाझर कस्बा व थाना सिकन्द्रवाद जनपद बुलन्दशहर।
2. फिरदौश पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी किराये का मकान मौ0 सराय झाझर कस्बा व थाना सिकन्द्रवाद जनपद बुलन्दशहर।
3. कौशर पुत्र लतीफ निवासी किराये का मकान मौ0 सराय झाझर कस्बा व थाना सिकन्द्रवाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 58,000/- रुपये नकद (धोखाधड़ी के)
2. 01 मोटरसाईकिल नं0 UP-32FZ-0906
3. 01 मोटरसाईकिल नं0 UP-13AU-0360
4. 02 तमंचे 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस
5. 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर निम्न घटनाएं कारित की गयी हैं –

1. दिनांक 30.01.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नुमाईस ग्राउड में एक व्यक्ति के साथ विदेशी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 105/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत हैं। उपरोक्त घटना से संबंधित 23,000/- रुपये बरामद किये गये हैं।
2. दिनांक 22.02.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सैन्टरल बम्बा के पास एक व्यक्ति के साथ विदेशी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 208/25 धारा 112/318(4) बीएनएस पंजीकृत हैं। उपरोक्त घटना से संबंधित 35,000/- रुपये बरामद किये गये हैं।
3. दिनांक 18.10.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बुलन्दशहर मार्केट में एक व्यक्ति के साथ पुलिस स्टाफ बताकर धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 937/24 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत हैं।
4. दिनांक 24.12.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रोडवेज बस अड्डा बुलन्दशहर पर एक महिला के साथ कुंडल, 1500 रुपये व सामान ठगने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1151/24 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त रफीक, फिरदौश व कौशर का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 937/24 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 1151/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 105/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 208/25 धारा 112/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 209/25 धारा 312/313/317(2) बीएनएस 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर थाना प्रभारी कोतवाली नगर
2. उ0नि0 धर्मवीर सिंह, उ0नि0 आदेश कुमार, उ0नि0यू0टी0 मनोज कुमार, उ0नि0यू0टी0 प्रमोद कुमार
3. है0का0 हितेश कुमार, है0का0 मोहित मलिक, का0 जितेन्द्र कुमार

मीडिया सैल बुलन्दशहर